न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 93/2019

प्रार्थीगण :–

1. उगमाराम पुत्र मोहनराम
2. सुगनाराम पुत्र मोहनराम

सभी जातियान सरगरा निवासीगण ग्राम रियां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 118,131,136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता :– श्री अब्दुल सलीम खान सिन्धी

अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

निर्णय

दिनांक : 30.08.2019

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम रियां पटवार हल्का रियां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सरहद में हम प्रार्थीगण के सहस्वामित्व की कब्जासुद शामलाती सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरानम्बर 1232/2 रकबा 1.4724 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ खाता सं. नया 92 व पुराना 59 के अनुसार दर्जसुदा आई हुई है जिसमें हम प्रार्थीगण का 1/2, 1/2 वां हक हिस्सा निहीत है उक्त हिस्से पर हम प्रार्थीगण ही कब्जा काश्त होकर काश्त करते आ रहे है । उपरोक्त वर्णित खातेदारीसुदा कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में नक्शा ट्रेस (कपड़े वाले नक्शे) में माफिक कब्जे अनुसार अमल दरामद की गई है । लेकिन हाल ही में हुए राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन रिकार्ड में प्रार्थीगण के नक्शे को वास्तविक स्थान से हटाकर अन्यत्र स्थान पर ऑनलाईन रिकार्ड अमल दरामद कर दिया है जिससे प्रार्थीगण की सहखातेदारीसुदा कृषि भूमि जहां खरीद की तारीख से ही कब्जा काश्त थे उससे अलग हटकर उक्त ऑनलाईन नक्शा दर्शा दिया गया हैं जिससे भी दुरूस्त किया जाना आवश्यक है जो कि एक लिपिकिय त्रुटिवंश (कम्पयुटर की त्रुटीवंश) दर्ज हो गया है । जिससे वर्तमान व भविष्य में प्रार्थीगण को उक्त त्रुटिपूर्ण नक्शे के कारण कई परिशानियो का सामना करना पड़ सकता है । उक्त त्रुटि के कारण प्रार्थीगण के खेत की सीमाज्ञान करने, कृषि कार्य करने, उपयोग उपभोग एवं बैचान हस्तान्तरण निर्माण भू रूपान्तरण इत्यादि में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । उक्त लिपिकिय त्रुटि की जानकारी प्रार्थीगण द्वारा ऑनलाईन रेकर्ड की प्रतियां प्राप्त कर हल्का पटवारी से उक्त रेकर्ड का मिलान करने पर पता चली जिस पर प्रार्थीगण ने उक्त त्रुटि दुरूस्त करने हेतु हल्का पटवारी एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर से निवेदन किया लेकिन हल्का पटवारी व तहसीलदार पीपाड़ शहर ने न्यायालय हाजा के आदेश के बगैर उक्त शुद्धी करने में असक्षमता जाहिर की इसलिए प्रार्थीगण हल्का

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

पटवारी से रेकर्ड की नकले प्राप्त करने हेतु मजबूर हुऐ है । उक्त रेकर्ड की दुरूस्ती को दुरूस्त करने के अधिकार आप श्रीमान को प्राप्त है तथा प्रार्थीगण को भी अपना रेकर्ड दुरूस्त करवाने के अधिकार प्राप्त है इसलिए प्रार्थीगण के हक अधिकार को देखते हुए उक्त रेकर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है । उक्त प्रकरण की जानकारी संलग्न रेकर्ड हल्का पटवारी से प्राप्त करने पर प्रार्थीगण को प्राप्त हुई तथा ऑनलाईन रेकर्ड किये हुए अभी अधिक समय नही गुजरा है इस कारण प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 1232/2 ग्राम रियां की राजस्व रेकर्ड की स्थिति ऑनलाईन से पूर्व व पश्चात् की तलब कर मौके का सत्यापन करवाकर भौतिक कब्जे अनुसार एवं पूर्व रेकर्ड के अनुसार नक्शे को दुरूस्त करने के सादर आदेश अप्रार्थी को दिये जाने के सादर आदेश फरमावें ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किये गया। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ और जवाब प्रस्तुत किया है कि भू. अभिलेख निरीक्षक बुचकलां एवं हल्का पटवारी रियां की जांच एवं रिपोर्ट के आधार पर ग्राम रियां के खसरा नम्बर 1232/2 के स्थान पर 1232/1 तथा खसरा नम्बर 1232 के स्थान पर 1232/2 की तरमीम दुरूस्ती की जाती है तो कोई आपति नही है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज,व जवाब तहसीलदार का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रियां के खसरा नम्बर 1232/2 के स्थान पर 1232/1 तथा खसरा नम्बर 1232 के स्थान पर 1232/2 की तरमीम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 30.8.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner